न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 63/2023, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

1. प्रभु पुत्र सल्या जाति मीना निवासी बालोतन की ढाणी बसवा तहसील बसवा जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. डॉ. नवनीत कुमार आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बसवा जिला दौसा।
2. रामफूल पुत्र धन्नालाल
3. पूरणचन्द पुत्र धन्नालाल
4. गिर्राज पुत्र धन्नालाल तथाकथित दत्त पुत्र दौल्या।

निवासीयान बालोतन की ढाणी बसवा तह. बसवा जिला दौसा।

5. श्रीमती जमना देवी पत्नि धन्नालाल जाति मीना

अप्रार्थीगण

6. सुखपाल पुत्र सल्या
7. ख्याली पुत्र सल्या
8. रामनाथ पुत्र सोहनलाल
9. लटूर पुत्र सोहनलाल
10. बबलीराम पुत्र सोहनलाल
11. नरसीराम पुत्र सोहनलाल
12. विक्रम पुत्र सेडूराम
13. गोपी पुत्र सेडूराम
14. हनुमान पुत्र सेडूराम
15. महादेव प्रसाद पुत्र प्रभु
16. मोहनलाल पुत्र प्रभु
17. जगदीश पुत्र प्रभु
18. कैलाश पुत्र प्रभू
19. बनवारी पुत्र प्रभु

निवासीयान बालोतन की ढाणी बसवा तहसील बसवा

तरतीबी अप्रार्थीगण

न्यायालय उप जिला कलक्टर बसवा जिला दौसा में विचाराधीन राजस्व वाद बाबत तकास्मा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा वाद संख्या 149/2023 उनवान रामफूल वगैरा बनाम प्रभु वगैरा को मुन्तकिल किये जाने बाबत् मुन्तकिल प्रार्थना पत्र

उपस्थिति : श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
: श्री किशन सिंह गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 उपस्थित।

:— निर्णय :— दिनांकः— 15.12.2023

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के खिलाफ अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 ने एक राजस्व वाद तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का मय स्थगन प्रार्थना पत्र बउनवान रामफूल वगैरा बनाम प्रभु वगैरा का न्यायालय उप जिला कलक्टर बसवा में पेश किया था। जिसमे से स्थगन प्रार्थना पत्र का निर्णय दिनांक 30.06.2023 को किया जा चुका है। जिसकी अपील न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर में की जा चुकी है। प्रार्थी/प्रतिवादी को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं होने के प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसवा से प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गई। उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसवा में विचाराधीन राजस्व वाद तकास्मा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा एवं स्थगन प्रार्थना पत्र बउनवान रामफूल बनाम प्रभु वगैरा में स्थगन प्रार्थना पत्र का निर्णय दिनांक 30.6.2023 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जा चुका है, जिसकी अपील न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर को की जा चुकी है एवं राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसवा के पीठासीन अधिकारी से प्रार्थी प्रतिवादी को न्याय की उम्मीद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में फैसला करने की गरज से जल्दी–जल्दी तारीख पेशी दी जा रही है तथा वादीगण संख्या 2 लगायत 4 के कहे अनुसार ही तारीख पेशी नियत की जा रही है। तारीख पेशी के रजिस्टर एवं पत्रावली में कांट छांट कर रखी है और अलग–अलग तारीखे बताई जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से वादीगण मिले हुये है। जिन्होने प्रार्थी को यह ऐलानिया रूप से बताया है कि हमने हमारे अनुसार स्थगन प्रार्थना पत्र का निर्णय हमारे पक्ष में दिनांक 30.06.2023 को करवा लिया है और राजस्व वाद का भी निर्णय हमारे पक्ष में ही करवा लेंगे। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को कई मर्तबा न्यायालय समय में पीठासीन अधिकारी डॉ. नवनीत कुमार के चैम्बर में आते–जाते देखा है, जिससे प्रार्थी को पूरा विश्वास हो गया है कि अधीनस्थ न्यायालय पीठासीन अधिकारी से अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 की साज–बाज है, इसलिये प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 द्वारा जवाब बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में अंकित पैरा संख्या 2 जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जल्दी–जल्दी तारीख पेशी दिये जाने एंव तारीख पेशी के रजिस्टर एवं पत्रावली में कांट–छांट किये जाने का उल्लेख किया गया है, किन्तु उक्त तथ्य के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण अभी दावा तनकी स्टेज पर ही है। दावा अन्तिम निर्णय की स्टेज पर नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन उक्त प्रकरण तकास्मा से सम्बन्धित है, जिसको अन्य क्षेत्र के सक्षम न्यायालय में स्थनान्तरित किये जाने का औचित्य नहीं है। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध मनगढन्त आरोप लगाया जाकर प्रार्थी को परेशान करने एवं प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी बसवा से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकितानुसार प्रकरण में विधिक नियमो के अनुसार एवं मुन्तकिल प्रार्थना पत्र देहन्दा प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की उपस्थिति में ही तारीखे उनकी सहमति से ही दी जाती है। प्रकरण में जो भी निर्णय किये जाते है वह विधिक नियमो एवं रिकार्ड व साक्ष्यो के प्रकाश में किये जाते है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र जिस कदर तहरीर किया गया है वह काबिले खारिज है, जो कि न्यायालय की गरिमा के विरूद्ध है एवं पूर्णतया तथ्यों से विपरीत है। जिस प्रकार से अनुतोष बेवजह दोषारोपण लगाकर चाहा गया है, उसे पूर्ण हर्जा खर्चा सहित खारिज किये जाने काबिल है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में जिस प्रकार से तथ्य अंकित कर अनुतोष चाहा गया है, उसके सम्बन्ध में कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का उद्देश्य मात्र प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किया जाना प्रतीत होता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण साबित नहीं होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी बसवा को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार किया जाकर नम्बर से कम हो एवं पत्रावली बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

(राजकुमार कस्वा)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 15.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजकुमार कस्वा)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा